

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री लोगर

विपक्षी :- श्री लोगर

रूम मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 08/19

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी
तथा सूचनाएं
जारी की गईं

दिनांक 31.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम 1/2 एवं विपक्षी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित सम्पत्ति होकर खातेदारों के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया है जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी के नाम सामलाती हैं। राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा किया हुआ नहीं हैं। भूमि राजस्व रेकार्ड में सामलाती होने से किसी भी खातेदार का स्पष्ट कब्जा सावित नहीं किया जा सकता हैं। प्रथमतया जब कब्जा ही सावित नहीं हुआ है तो पक्षकारों के कब्जे के आधार पर सीमांकन व पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं हैं। प्रार्थी का यदि पूर्व में बंटवाडा हो चुका है तो प्रार्थी को सहमति के आधार पर बंटवाडा करा लेना चाहिए, उसी के आधार पर बंटवाडे के दौरान तहसीलदार द्वारा हिस्से कब्जे की भूमि का सीमांकन कर प्रार्थी को राहत दी जा सकती हैं।

वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित सम्पत्ति होकर प्रार्थी व विपक्षी की सामलाती भूमि हैं। सामलाती भूमि होने से प्रार्थी का कब्जा स्पष्ट नहीं हैं। अतः प्रार्थी का कब्जा स्पष्ट नहीं होने से पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।



Amray
(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली